

पत्रांक -3/एम०-85/2022सा0प्र0.....19620/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 4.11.2022

विषय- वर्ष 2022-23 से संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का संधारण ऑनलाईन किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-21011/2/2015-Estt.(A) Part दिनांक-14.09.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगवर्णित अर्द्ध सरकारी पत्र (छायाप्रति संलग्न) में उल्लेख किया गया है कि-

(क) प्रथमतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 में स्पैरो (SPARROW) प्रणाली दिनांक-01.04.2014 के प्रभाव से लागू की गयी थी। दस्ती (मैनुअल) से ऑनलाईन प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अधिकृत उपयोगकर्ताओं की पी.ए.आर. डोजियर तक पहुँच को सुलभ करना, गमनागमन के क्रम में पी.ए.आर. को खोने से बचना, पूर्व की तिथि अंकित करने, प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा बिना तिथि के अम्युक्ति अंकित करने आदि को रोकना था। आलोच्य सभी समस्याओं का निराकरण ऑनलाईन अभिलेखित पी.ए.आर. में किया गया था।

(ख) कई राज्य सरकारें अभी भी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों को भौतिक रूप में संधारित कर रही हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि राज्य सेवाओं से भा.प्र.से. में चयन के निमित्त चयन समिति की बैठकों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवा के पदाधिकारियों के अपेक्षित सम्पूर्ण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(ग) एक या एकाधिक कारण से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का कार्य विभिन्न स्तरों पर लंबित रहता है यथा- उनका सृजन, स्वमूल्यांकन

का समर्पण या उनका प्रतिवेदक प्राधिकार, समीक्षी प्राधिकार, स्वीकरण प्राधिकार के स्तर पर लंबित रहना आदि।

3. प्रसंगवर्णित पत्र में यह अनुरोध भी किया गया है कि वर्ष 2022-23 से किसी भी प्रयोजन से संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन रूप में ही संधारित किया जाय।

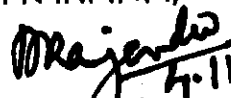
4. विदित हो कि बिहार सरकार से कतिपय उद्देश्य से बिहार सरकार के पदाधिकारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है यथा बिहार वन सेवा से भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति, बिहार पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति तथा बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राजपत्रित सेवाओं के पदाधिकारियों (बिहार प्रशासनिक सेवा को छोड़कर) की गैर राज्य असैनिक सेवाओं (Non-SCS) के कोटा के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति आदि।

5. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त अनुरोध है कि—

(i) वर्ष 2022-23 से किसी भी प्रयोजन से संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का संधारण ऑनलाईन ही किया जाय।

(ii) एतदर्थ जिन सेवाओं/संवर्गों में ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेखन की व्यवस्था अब तक नहीं है, संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा इसके संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र की जाय जिससे कि ऐसी सेवाओं/संवर्गों के सदस्यों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अभिलेखन वर्ष 2022-23 से ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित हो सके।

विश्वासभाजन,


(डॉ० बी० राजेन्द्र)
सरकार के प्रधान सचिव